राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2133/2024

श्रीमती ममता पारीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.06.2024

आदेश की दिनांक : 15.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापिका के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डाबीखेडा ब्लॉक धरियावाद, जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.08.2020 को हुई थी तब से अपीलार्थी अपनी निरंतर संतोषजनक सेवायें दे रही है। अपीलार्थी ने दिनांक 12.03.2024 को एक पुत्र को जन्म दिया और वर्तमान में अपीलार्थी प्रसूति अवकाश पर चल रही है, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी छोटी सादडी की रहने वाली है। उसका छोटा बच्चा है। उनका

कथन है कि वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, घोसियों का खेडा में पद रिक्त है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 09.05.2024 को रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1665/2024 पवन मीणा बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 जिसमें यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन का निस्तारण समयावधि में किया जाना चाहिये परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन का निस्तारण किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापिका के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डाबीखेडा ब्लॉक धरियावाद, जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.08.2020 को हुई थी तब से अपीलार्थी अपनी निरंतर संतोषजनक सेवायें दे रही है। जहां तक अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने रिक्त पद पर पदस्थापन के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उसका कोई निराकरण नहीं किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी द्वारा रिक्त पद पर पदस्थापन के संबंध में प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन को चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य